



2026:AHC:21261

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 2101 सन् 2026

तीरथ साहनी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रमोद कुमार पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सुधीर भारती, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया,

1. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज करने की प्रार्थना की है, जिसमें याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी गई है।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का विरोध नहीं किया है।
3. तदनुसार, याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज किया जाता है, जिसमें याचिकाकर्ता को अनुरोधित स्वतंत्रता दी गई है।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

30 जनवरी, 2026

सकलैन

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"